अर्थशास्त्र

कक्षा-XI

मुक्त पाठ आधारित मूल्यांकन

2015-16

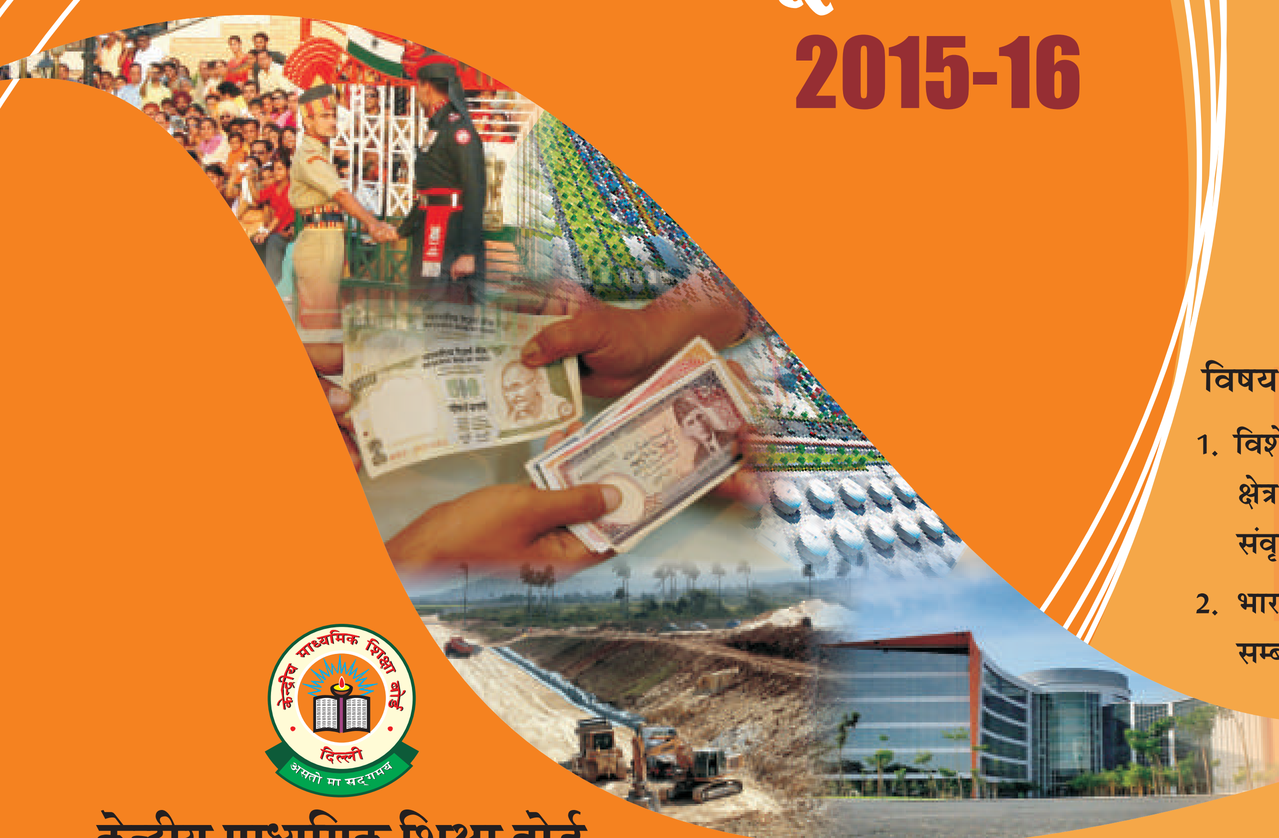

विषय	पृष्ठ
1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) – संवृद्धि का मार्ग	1
2. भारत-पाक व्यापार सम्बंध	16

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
दिल्ली-110301, भारत

मुक्त पाठ–आधारित मूल्यांकन

अर्थशास्त्र कक्षा – XI

1. विषय : विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) – संवृद्धि का मार्ग

सारांश

विश्व के लोग चीन की उस असाधारण संवृद्धि के बारे में आश्चर्य चकित हैं जो चीन की अर्थव्यवस्था ने पिछले छः दशकों में हासिल किया है। विनिर्माण क्षेत्र में चीन द्वारा निष्पादित उस संवृद्धि दर के बारे में अर्थशास्त्रियों ने कभी सुना ही नहीं। ऐसे अनेकों कारण हैं जिन्हें इस के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तथापि, सर्वाधिक अविवादित कहा जाने वाला कारण है– चीन की विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति जो न केवल बहुत सुस्पष्ट है अपितु उस को लागू किया जाना भी अभूतपूर्व है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि चीन की विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति की सफलता का श्रेय सहायक तथा संरचनात्मक तंत्र को जाता है।

फिर भी, बहुत से लोग इस तथ्य को नहीं जानते कि एशिया का अपनी तरह का प्रथम आर्थिक संसाधन क्षेत्र (EPZ) वर्ष 1965 में भारत में कांडला (गुजरात) में स्थापित किया गया था। जो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने संवृद्धि की प्रक्रिया का प्रयास एक सकारात्मक आधार पर किया था परंतु रास्ते में लड़खड़ा गया। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना रखा गया था परंतु पड़ोसी देशों, विशेषतया चीन के साथ, कार्यान्वित करने की दिशा में तुलना करते समय भारत की एस.ई.जेड नीति में कई कमियां नज़र आती हैं। यह एक उचित तथा मान्य तथ्य है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए चमत्कार कर सकते हैं यदि सही तरीके से नियोजित कर के उन्हें लागू किया जाए।

नीचे दी गई कहानी एक प्रयास है ताकि एक विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में चीन तथा भारत द्वारा अपनाई गई विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति का अपेक्षाकृत जटिल मुद्दा हम समझ सकें।

दृश्य-1 : अर्थशास्त्र का एक अध्यापक कक्षा प्रस्तुति के रुप में आगामी परियोजना की पृष्ठ भूमि की चर्चा कर रहा था, जिसे कक्षा ग्यारहवीं के विद्यार्थियों को, समकालीन महत्त्व के तथा विद्यार्थियों की समझ के अनुसार प्रासंगिक विभिन्न विषयों में से पढ़ाया जाना था। उसने विद्यार्थियों को, तीन–तीन विद्यार्थियों की टोलियां बनाने का निर्देश दिया ताकि वह उनकी परियोजना निर्धारित कर सके। तीन मित्रों के एक दल को (जो सभी बहुत ही प्रतिभावान थीं) अर्थात भवि, अंशिता तथा रुद्राक्षी को दिया गया विषय था – "चीन और भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) तथा चीन गणराज्य (पी.आर.सी) तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान।"

तीनों मित्र स्तंभित रह गए और उन्होंने कानाफूसी प्रारंभ कर दी। "नहीं, चीन तथा उसका एस.ई.जैड" नहीं .... चीन के बारे में आधिकारिक आंकड़े कहां से मिलेंगे? हम एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे .... हमारे सहपाठियों को हम से अधिक अंक मिल जाएंगे .... आइए हम अपने अध्यापक जी से विषय बदलने के लिए कहें .... हमें कोई और विषय दे दीजिए .... आइए चलें ....।

अध्यापक ने पूछा, "कोई समस्या?"

श्रीमान हां .... नहीं .... कृपया ....

अध्यापक : क्या बात है? मुझे साफ़–साफ़ बताओ कि आप लोगों को क्या बात परेशान कर रही है? आओ और मुझे बताओ।

भवि : श्रीमान, चीन की एस.ई.जेड नीति एक बहुत व्यापक विषय है और हमारी पहुंच से बाहर है। हम इस पर एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाएंगे।

अध्यापक : यह किसने कहा कि तुम इस पर एक अच्छा प्रोजेक्ट नहीं बना पाओगी?

रुद्राक्षी : श्रीमान, हमारी कक्षा के छात्रों को दिए गए विषयों में से यह सब से कठिन है और हमें शंका है कि इस विषय में शायद ही कुछ आधिकारिक जानकारी उपलब्ध हो। इसीलिए, हम इस विषय को लेकर थोड़ा असहज हैं।

अध्यापक : शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आप लोगों को इस विषय को देने का कारण यह है कि कक्षा में केवल आप सब की बुद्धि ही सर्वाधिक प्रखर है और केवल आप ही इस प्रोजेक्ट को पूरी निष्ठा तथा ईमानदारी से कर सकते हैं। और फिर इससे मिलने वाला ज्ञान भी बहुत अधिक होगा। मुझे इस बात में किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि आप द्वारा किए गए अनुसंधान से कक्षा को बहुत लाभ होगा। मैं जानता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे।

भावी : ठीक है, श्रीमान। हम आपकी आशाओं के अनुरूप उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।

दृश्य–2 : मध्याह्न – तीन सहेलियां कम्प्यूटर लैब में गई और विषय के बारे में खोज की। उन्होंने विकसित की जाने वाले विषय वस्तु को आपस में बांट लेने का फैसला किया। उनके पास जानकारी इकट्ठी करने के लिए, केवल शनिवार तथा रविवार ही बचे थे और उनको कक्षा में प्रस्तुति देने की तैयारी भी करनी थी।

दृश्य–3 : आगामी कार्य दिवस अर्थात सोमवार को उनकी कक्षा का कमरा।

अध्यापक ने घोषणा की कि अब “भवि, अंशिता तथा रुद्राक्षी की बारी है कि वे अपनी कक्षा के समक्ष अपनी प्रस्तुति रखें। ध्यान दीजिए।”

भवि ने प्रारम्भ किया और चीन की एस.ई.जेड नीति का ऐतिहासिक पक्ष बताना प्रारम्भ किया।

भावी : मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इतिहास पुरुष माओ को चीन गणराज्य का जनक माना जाता है, जब कि यह डेंग जियोपिंग ही था जिसे चीन की बंद अर्थव्यवस्था को खोलने का श्रेय जाता है। उसी ने 1978 में चीन की अर्थव्यवस्था को विदेशी क्षेत्रक के उदारीकरण की शुरुआत की। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह “पूंजीवाद को समाजवादी संरचना में ढालने का एक प्रयास है” जब कि दूसरों का कहना है कि यह विदेशी क्षेत्रक के लिए एक मार्गी रास्ता है। इस दिशा में लिया गया सबसे महत्त्वपूर्ण कदम था – चीन में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना।

आगे बढ़ने से पहले, हम यह समझ लें कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड) का अर्थ क्या है?

SEZ की परिभाषा प्राय: इस प्रकार की जाती है – ये वे नामित क्षेत्र हैं जिनमें विदेशी/घरेलू विनिर्माताओं को विशेषतौर पर निर्यात हेतु विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में बाकी देश की तुलना अधिक उदारवादी कानून तथा आर्थिक नीतियां लागू की जाती हैं।

विशेष आर्थिक क्षेत्र में कौन कार्य कर सकते हैं?

- **कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी**
- **कोई भी घरेलू कम्पनी**
- **देश की सरकार**
- **उपरोक्त में से कोई भी संयुक्त रूप से**

1979 से चीन ने निरंतर विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया है जहां विशेषतौर पर विदेशी निवेशकों को संपति अधिकार सुरक्षा, कर से मुक्ति तथा तरजीही, भूमि नीति की सुविधा दी जाती है। SEZ के इस प्रयोग ने, चीन को विश्व के सबसे विशाल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्त्ताओं, निर्यातकों तथा विदेशी विनिमय मुद्रा धारकों में से एक बना दिया है।

1978 के प्रारंभिक काल में, चीनी शासकों ने एक विवेकपूर्ण तथा संतुलित उपागम अपनाया जिसके अंतर्गत सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को एक साथ न खोलने के स्थान पर टुकड़ों (खंडवार) में खोलने का उपागम अपनाया गया। पहले चरण में SEZ के उद्देश्य से उन्होंने चार ऐसे तटीय नगरों का चयन किया जो आर्थिक सुदृढ़ता तथा औद्योगिक विकास के क्षेत्रों में पहले से ही काफी पिछड़ चुके थे जैसे Shenghen, Zuhai, Shanton (Guangding प्रांत में) तथा Xiamen (Fugian प्रांत में) बाद में, प्रारंभिक चार विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अनुभव तथा सफल प्रयोग से प्रेरित होकर, देश के अन्य तटीय क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के विकासीय क्षेत्रों को प्रारंभ किया गया। 1984 में, अविकसित तटीय क्षेत्रों को विकास का लक्ष्य बनाते हुए, 14 नए क्षेत्रों को विदेशी व्यापार तथा निवेश के लिए खोला गया।

ये हैं :

दालियन	क्विनहुआंगदो	तिआनजिन	यंताई	क्विंगदो	लियानुयनगंग	नांतोग
शंघाई	निंगबो	वेनझो	फुझो	गुआंगझो	झनजियांग	बेहाई

स्रोत : गूगल इमेजिस

छोटे और बड़े नगरों के ऐसे प्रतिष्ठानों के उद्देश्य गहन तकनीकी आधारित तथा निर्यात अभिमुख उद्योगों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करना था। किसी क्षेत्र के भौगोलिक लाभों तथा विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्रक को मुक्त कराने के लिए, चीन की सरकार ने विभिन्न प्रकार के सुधारात्मक उपायों के साथ प्रयोग किए। भौगोलिक दृष्टि से विकास के ये सभी प्रकार के क्षेत्र चीन के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्रों के निकट स्थित थे ताकि उन्हें पत्तन संबंधी सुविधाएं प्रदान की जा सकें और व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार हो सके।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन क्षेत्रों को विशेष सुविधाएं तथा उदार प्रोत्साहन दिए गए। इसकी तुलना में, उस समय चीन के अन्य भाग अभी भी चीन की केन्द्रीय नियोजन व्यवस्था के कठोर नियंत्रण में थे।

चीनी शासकों की यह नीति 'दोहरी नीति का सिद्धांत – एक देश और दो नीतियां' का प्रतिनिधित्व कर रही थी।

ये क्षेत्र सुधारोत्तर काल में चीन के आर्थिक रुपांतरण के लिए प्रारंभिक संवृद्धि के एक साधन के रूप में काम करते रहें और तत्पश्चात इन्होंने पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित किया तथा प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए।

अब मैं अपनी मित्र अंशिता को आमंत्रित करूंगी ताकि वह चर्चा को जारी रखें और बताएं कि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए विभिन्न आपूर्ति संबंधी कारकों का मुकाबला कैसे किया।

अंशिता : मित्रों नमस्कार, अभी तक भवि ने हमें चीन की विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति के बारे में कुछ बहुत बढ़िया जानकारी दी है, तथापि कोई भी आर्थिक संवृद्धि का मॉडल केवल एक कारक के साथ काम नहीं कर सकता। इसी प्रकार, चीन के खुलेपन के मॉडल ने आपूर्ति तथा भाग दोनों को ध्यान में रखते हुए, संवृद्धि की गति को बनाए रखने पर ज़ोर दिया। चीन को जिस बात का सदैव लाभ मिला वह था अर्थव्यवस्था के अंतर्गत घरेलू मांग की बहुत बड़ी संभावनाओं के लिए वहां की जनसंख्या। तथापि अन्य सभी अविकसित अथवा विकासशील देशों की तरह, चीन भी आपूर्ति के मोर्चे पर संतुलन शक्ति में पिछड़ा रहा है। चीन के नीति–निर्माताओं ने अपने त्रिकोणीय नीति प्रयास का लक्षित किया है ताकि एस.ई. जेड (SEZ) मॉडल को ठोस तथा सफल बनाया जा सके। इस त्रिकोण के तीन कोण है :

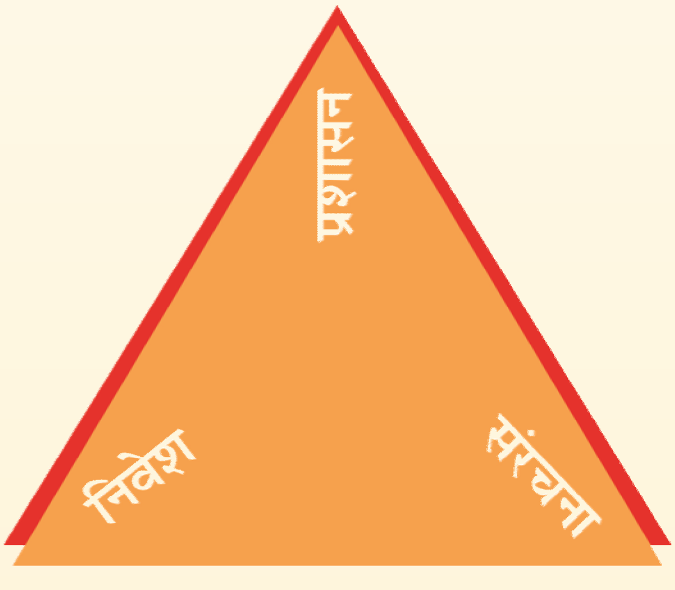

आइए इनका एक–एक करके अध्ययन करें :

1. **प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन** – वि.आ.क्षे. (SEZ) नीति से चीन की अर्थव्यवस्था में विकेन्द्रीकरण की ऊषा का उदय हुआ है जिससे आज भी धूप (चमक) प्राप्त हो रही है। वि.आ.क्षे. (SEZ) को प्रत्यक्ष रुप से स्थानीय शासन के अधीन काम करना था, जिनको विकास योजनाओं के निर्माण, निवेश परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना, बीमा, बैंकिंग तथा कस्टम आदि का काम सौंपा गया था। इसके लिए बड़े–बड़े संस्थागत सुधारों की आवश्यकता थी ताकि संवृद्धि के नए रास्ते खुल सकें। ऐसे सुधार, बाद में चीनी आर्थिक ढांचे के लिए संवृद्धि के प्रमुख तंत्र सिद्ध हुए। परिणामस्वरूप, चीन ने सुधारों से पहले के काल की कठोर प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जहां आर्थिक निर्णय केन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से लिए जाने थे। अर्थशास्त्रियों के अनुसार इसका दुष्प्रभाव पहले से प्रारंभ की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं की गति एवं कार्य कुशलता पर पड़ा।

2. **निवेश की प्रेरणा** – विभिन्न वित्तीय तथा गैर–वित्तीय आकर्षण योजनाओं, जैसे करों में रियायत, परियोजनाओं का एक ही स्थान पर स्वीकार्य हो जाना आदि, के द्वारा, चीन ने बड़ी सफलतापूर्वक वि.आ.क्षे. (SEZ) नीति का बाज़ारीकरण किया। यह कदम इसलिए उठाए गए ताकि चीन की अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया जा सके। केवल इतना ही नहीं, ऐसी योजनाओं में पर्याप्त लचीलापन भी अपनाया गया। उदाहरण के तौर पर, कार्पोरेट आयकर की 15% दर, घरेलू उद्यमियों पर थौंपी गई 30% की दर से काफी कम है। उसके अतिरिक्त विदेशी उद्यमियों को 3% स्थानीय आयकर से भी मुक्त कर दिया गया था। गंतव्य यह था कि विदेशी निवेश को प्रेरित तथा आकर्षित किया जाए, बजाए इसके कि उन्हें एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में घरेलू संसाधनों के आबंटन की आज्ञा दी जाए। यहां एक और कहने योग्य आश्चर्यजनक बिंदु यह है कि चीन में वि.आ.क्षे. (SEZ) को भारी आकर्षक संरचना उपलब्ध होने के बावजूद, सरकारी खज़ाने को कोई राजस्व का नुकसान नहीं हुआ। इसके विपरीत, वि.आ.क्षे. नीति के कार्यान्वन ने, आशा के अनुरूप, सरकारी राजस्व में योगदान दिया, बजाय इसके कि विपरीत सामाजिक परिस्थितियां पैदा की जाएं।

3. **अविश्वास्य संरचना** – यह एक आधारभूत सत्य है कि कोई भी संवृद्धि अभिमुख योजना, बिना उपयुक्त संरचनात्मक व्यवस्था के, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सक्रांति काल में समर्थन देकर अगले स्तर पर ले जा सके, कभी भी सफ़ल नहीं हो सकती। वि.आ.क्षे. (SEZs) में संरचना को विकसित करने तथा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की प्रक्रिया में, चीन के लोगों ने इस कहावत का पालन किया है कि पहले घोंसला बनाइए; पक्षी पीछे-पीछे चले आएगें। प्रत्येक क्षेत्र में चीन के नीति निर्माता, न केवल संरचनात्मक सुविधाओं को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को समझते थे परंतु देश में संरचना निर्माण की ओर भी ध्यान देते थे।

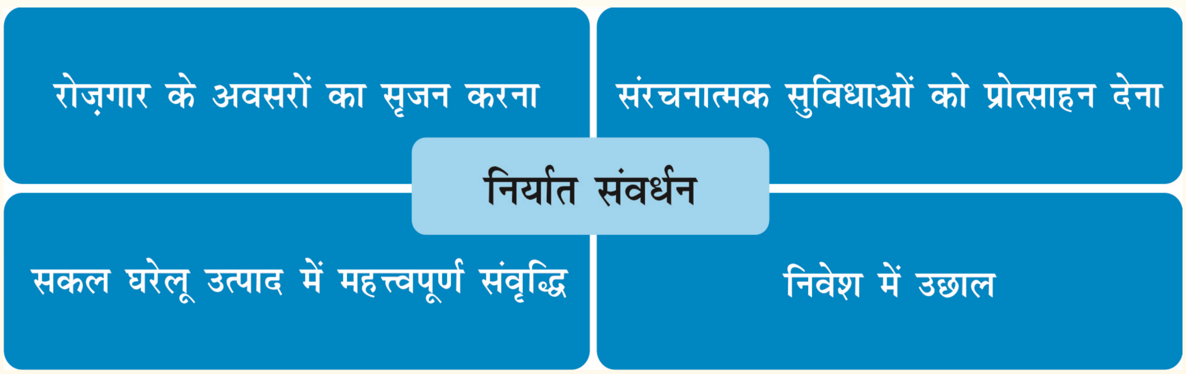

इसलिए, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी कि पारंपरिक चीनी अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने में वि.आ.क्षे. की नीति ने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तथापि, निम्नलिखित कारकों के बिना यह सब संभव नहीं हो पाता :

- पूर्व–सुधार काल में अपनाई गई मौजूदा कठोर अर्थव्यवस्था से परित्याग।
- तदोपरांत, सुधारवादी उपायों ने, चीन में सुधारों की सफलता के लिए मुख्य बल दिया।
- अर्थव्यवस्था की कमियों को पहचानना तथा उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाना।
- सरकार के विभिन्न स्तरों पर ईमानदारी से प्रयास करना।
- सत्ता के विकेन्द्रीकरण ने प्रशासन की कार्य कुशलता को बढ़ावा दिया।
- इसके बाद, जब चीन ने सुधार प्रक्रिया प्रारंभ की, इसकी पूर्वी एशिया में शायद ही कोई प्रतिस्पर्द्धा हो।

उपरोक्त वर्णानात्मक विश्लेषण स्पष्ट रुप से दर्शाता है कि एस.ई.जैड. को प्रोत्साहन देने का निर्णय, केवल एक पहला कदम था। तथापि, वि.आ.क्षे. (SEZ) की सफलता, देश की आर्थिक संवृद्धि के मार्ग में आने वाले बाधक कारकों की पहचान तथा निवारण पर निर्भर करती थी। इसके अतिरिक्त, घरेलू तथा बाह्य मोर्चों पर, इसे विभिन्न सहायक नीतियों के प्रभावी समन्वय तथा संघटन की भी आवश्यकता है। संक्षिप्त में, किसी भी नीति से विपरीत परिस्थितियों में काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, अपितु आवश्यकता होती है सहायक कारकों की सतर्कता से की गई पहचान तथा कार्यान्वन की जो किसी भी अर्थव्यवस्था में, विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न देशों में अलग–अलग होती है।

इसी के साथ मैं माइक रुद्राक्षी को देना चाहूंगी ताकि वह प्रारम्भ से होकर भारत में वि.आ.क्षे. की कहानी को और विस्तार से सुना सकें।

रुद्राक्षी : धन्यवाद अंशिता। मित्रों अभिवादन। हमारे पड़ोसी देश चीन के वि.आ.क्षे. की सफलता की कहानी के बारे में हमने काफी चर्चा कर ली है। जब हम चीन के वि.आ.क्षे. के बारे में खोज कर रहे थे, तो एक चकित कर देने वाला तथ्य मेरे सामने आया कि यह हमारा देश भारत ही था जो वि.आ.क्षे. का धारणा का अगुआ है। जिसने एशिया में पहली बार, 1965 में गुजरात में कांडला में प्रारंभ किया, चाहे हम इसे आर्थिक संसाधन क्षेत्र (ई.पी.जैड.) कहते हैं। तथापि, हम सही मार्ग और सही गति नहीं पकड़ पाए जो EPZ/SEZ के लिए आवश्यक है और लम्बे समय तक हमारी संवृद्धि संबंधी रणनीति का एक मुख्य कारक है।

मेरी प्रस्तुति में, 1965 में वि.आ.क्षे. अधिनियम से लेकर अब तक, भारत में इस के विकास पर केन्द्रित रहेगा और हमारे देश में इस नीति की दोषपूर्ण संवृद्धि के पीछे छिपे कारणों को जानने का प्रयास करुंगी। 1965 से प्रारंभ करके, भारत ने 8 पूर्णतया विकसित ई.पी.जैड./एस.ई.जैड. स्थापित किए हैं जो इस प्रकार हैं :

1.	कांडला (गुजरात)	1965 (625 एकड़)
2.	सीपज़ (महाराष्ट्र)	1975 (110 एकड़)
3.	नोएडा (यू.पी)	1986 (310 एकड़)

4.	चेन्नई (तमिलनाडु)	1986 (262 एकड़)
5.	कोची (केरल)	1986 (103 एकड़)
6.	फाल्टा (पश्चिम बंगाल)	1986 (280 एकड़)
7.	विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश)	1994 (360 एकड़)
8.	सूरत (गुजरात)	1998 (103 एकड़)

ये सभी EPZs/SEZs निर्यात संवर्धन तथा प्रत्यदक्ष विदेशी निवेश (FDI) संबंधी, देश के लक्ष्यों की दिशा में योगदान दे रहे हैं। 2005 के वि.आ.क्षे. अधिनियम के पश्चात कुछ वर्षों में भारत सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में SEZ परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। विशाल विदेशी पूंजी तथा बहुविधि नियंत्रण, प्रतिबंध, लाइसेंस प्राप्त करने, वैश्विक स्तर के संरचनात्मक ढांचे की कमी तथा अस्थिर वित्तीय व्यवस्था के कारण पिछली कमियों को पूरा करने को ध्यान में रखते हुए, संसद द्वारा पारित वि.आ.क्षे. अधिनियम 2005 (अपनी वर्तमान स्थिति में) अप्रैल 2006 में घोषित किया गया। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे।

सरलीकृत प्रक्रियाएं

सिंगल विंडो क्लियरेन्स

स्वतः प्रमाणित करना

- सरलीकृत प्रक्रियाएं : विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास, प्रचालन तथा रख-रखाव के लिए तथा इन क्षेत्रों में किसी इकाई को स्थापित करने और व्यापार करने के लिए।

- सिंगल विंडो क्लियरेंस : केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से संबंधित मामलों से जुड़े किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में इकाई स्थापित करना और किसी वि.आ.क्षे. की स्थापना करना।
- स्वतः प्रमाणित करना : सरलीकृत अनुपालन प्रक्रियाएं तथा प्रलेखन, जिसमें स्वतः प्रमाणित करने पर बल हो।

वि.आ.क्षे. अधिनियम, 2005 के मुख्य उद्देश्य

- उच्च सकल घरेलू उत्पाद तथा आर्थिक विकास के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न करना।
- अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा के आने को सुनिश्चित करने के लिए, वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- अर्थव्यवस्था में अधिक बचत तथा उच्च निवेश दर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, घरेलू स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन देना।
- देश में अधिक मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुनिश्चित करने के लिए, विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन देना।
- वर्तमान तात्कालिक वि.आ.क्षे. नीति के परिणामस्वरुप रोज़गार के अवसरों का सृजन अवश्यंभावी है।
- संरचनात्मक सुविधाओं का विकास, वि.आ.क्षे. नीति के साथ 'कारण तथा परिणाम' रुपी अनिवार्य संबंध रखता है। किसी देश में प्रत्यक्ष विदेश निवेश के आने के लिए उन्नत संरचना एक पूर्व–अनिवार्यता तथा परिणाम है। इससे किसी अर्थव्यवस्था में अधिक पूंजी निर्माण भी सुनिश्चित होता है।

वि.आ.क्षे. अधिनियम 2005 ने, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वि.आ.क्षे. में निवेश के साथ–साथ विदेशी निवेश की पहल के लिए कई प्रकार के प्रोत्साहन तथा सुविधाएं देने की बात कही है। इन में से कुछ महत्त्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं :

- कर मुक्त आयात/ वि.आ.क्षे. इकाइयों के विकास, प्रचालन तथा रख–रखाव के लिए वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता। इससे अर्थव्यवस्था में कच्चे माल की उपलब्धता की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होगी (आयातित तथा घरेलू उत्पाद दोनों के लिए)।

- आयकर अधिनियम की धारा 10AA के अंतर्गत वि.आ.क्षे. की इकाइयों की आयात से प्राप्त होने वाली आय पर पहले पांच वर्ष के लिए 100 प्रतिशत आयकर की छूट, अगले पांच वर्ष के लिए 50% तथा उससे अगले पांच वर्ष की पुनर्विनियोजन निर्यात पर लाभ पर भी 50% छूट। इस प्रकार की छूट बहु–राष्ट्रीय कंपनियों तथा घरेलू कंपनियों द्वारा वि.आ.क्षे. की स्थापना में अपनी पूंजी लगाने की दिशा में प्रत्यक्ष रुचि उत्पन्न करती है।

- केन्द्रीय बिक्री कर (CST) तथा सेवा कर से छूट। ये दोनों कर उत्पादक की विक्रय कीमत का एक प्रमुख भाग होते हैं। इसलिए, इस प्रकार की कोई भी छूट, उत्पादों को घरेलू/आयात मार्केट में ले जाने के लिए बढ़ावा देती हैं। कम दाम होने के कारण, उत्पाद का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी स्तर काफी बढ़ जाता है जिससे उत्पादकों को घरेलू तथा अंतराष्ट्रीय दोनों बाज़ारों में बेहतर उपस्थिति तथा लाभ का अवसर मिलेगा।

- व्यवसाय करने की बेहतर सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने अनेक केन्द्रीय तथा राज्यस्तरीय स्वीकृतियों के लिए एकल खिड़की निकासी की सुविधा दी है जिससे बहुत बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक आएंगे तथा घरेलू कंपनियों को भी प्रेरणा मिलेगी।

भारत में वि.आ.क्षे. के विकास की दिशा में, विश्वास अर्जन उपाय के रूप में, इन कदमों को सर्वाधिक अनिवार्य माना जा सकता है।

उस समय तक, किसी भी विद्यार्थी को रुद्राक्षी के चेहरे अथवा शरीर पर थकावट के कोई चिह्न दिखाई नहीं दिए जबकि वह अपनी धारणा को बहुत अच्छे तरीके से समझा रही थी। पानी की बोतल से पानी पीने के पश्चात उसने फिर प्रारंभ कर दिया।

मित्रों, अब मैं आप को, 2005 के नए एस.ई.जैड. अधिनियम के लागू होने के बाद, हमारे देश में चल रहे विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात की संख्यात्मक संवृद्धि को दिखाना चाहूंगी। इन निर्धारित क्षेत्रों से निर्यात की मात्रा में निरंतर वृद्धि हुई है। फिर भी, नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यानपूर्वक देखने से यह पता चलता है कि 2005 से निर्यात की संवृद्धि की गति थोड़ी बहुत असमता की ओर जा रही है। यह स्पष्ट संकेत है कि 1991 के आर्थिक सुधारों से होकर, पिछले कुछ वर्षों में, बेढंगा नियोजन, नीतियों को अनियमित तरीके से लागू करना तथा बाकी विश्व पर अतिनिर्भरता बनी रही है।

पिछले नौ वर्षों में प्रचालित वि.आ.क्षे. के निर्यात			
वर्ष	निर्यात		पिछले वर्ष की तुलना में संवृद्धि
	मूल्य (करोड़ों में)	यू.एस. डालर (बि.)	
2005-2006	22,840	5.08	-
2006-2007	34,615	7.69	52%
2007-2008	66,638	14.81	93%
2008-2009	99,689	22.15	50%
2009-2010	2,20,711	49.05	121%
2010-2011	3,15,868	70.19	43.11%
2011-2012	3,64,478	81.00	15.39%
2012-2013	4,76,159	88.18	31%
2013-2014	4,94,077	82.35	4%

रुझान विश्लेषन का सामान्य नियम स्थिर संवृद्धि संवेग पर बल देता है। दूसरी ओर, आंकड़े दिखाते हैं असम संवृद्धि संवेग जो 2006–07 में ठीक–ठाक 52% से बढ़कर अगले वित्तीय वर्ष में सराहनीय 93% हो गया जो वर्ष 2007–08 में फिर से घटकर वापिस 50% हो गया। अगले ही वर्ष की संवृद्धि में जबरदस्त तेज़ी शानदार रही और वर्ष 2009–10 में 121% बनकर शीर्ष पर पहुंच गई। यह इसलिए भी और अधिक महत्त्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इस काल में विश्व के समक्ष नीचे की ओर जाने का झुकान प्रारंभ हो चुका था जिसका कारण था यू.एस से प्रारंभ हुई मंदी जो 'लैहमन ब्रदर्स' जैसे बड़े संस्थानों में से एक, को बहा ले गयी।

अगले दो वर्षों में हम नीचे की ओर जा रहे थे और जबरदस्त गिरावट थी जो 43.11% से घट कर 15. 39% पर आ गई। यद्यपि निर्पेक्षता के आधार पर निर्यात का मूल्य में वृद्धि हो रही है, फिर भी इस मूल्य की संवृद्धि दर चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों के अच्छे भविष्य के बारे में हम केवल उम्मीद रख सकते हैं।

अपनी प्रस्तुति समाप्त करने से पूर्व, मैं भारत के वि.आ.क्षे. प्रोग्रामों की मुख्य चुनौतियों की चर्चा करना चाहूंगी। विशेषज्ञों का यह कहना है कि यदि हम इन प्रमुख चुनौतियों पर ध्यान केन्द्रित करें तो भारत के

वि.आ.क्षे. भी अपने प्रतिपक्षी चीन की प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला अच्छी तरह से कर सकते हैं। तथापि इस असमानता का मुख्य कारण कई कारकों को ठहराया जा सकता है जैसे अनुपयुक्त वि.आ.क्षे. नीति, एस.ई. जैड. के लिए स्थान चुनते समय गैर–जिम्मेदाराना नियोजन, भूमि अधिग्रहण नीतियां, अनुपयुक्त पुनर्वास नीति तथा कई अन्य कारक।

भ्रष्टाचार उन्मूलन	वि.आ.क्षे. अवस्थित करना
एकल खिड़की निकासी	अधिग्रहण के मुआवज़ा
व्यावसायिक सरलता	भूमिहीन श्रमिकों को रोज़गार देना

मेरे प्यारे मित्रों, इसी के साथ हम आशा करते हैं कि यह सभी के लिए उत्पादक तथा सूचनाप्रद रहा होगा। शांतिपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद।

इस विषय पर उनके प्रयास के लिए कक्षा ने अर्थशास्त्र के अध्यापक की आंखों में संतुष्टि का भाव देखा था जिसे केवल एक अध्यापक ही समझ सकता है जब भी उसके विद्यार्थी कोई सराहनीय कार्य करते हैं।

संदर्भ

1. www.sezindia.nic.in
2. www.commerce.nic.in
3. www.dipp.nic.in
4. The Economist
5. Research Paper by Zin Wang on Chinese SEZ, London School of Economics.
6. Tax Exemption in SEZ's in China (Ernst & Young).
7. Prologis Research Bulletin

आदर्श प्रश्न

1. व्यवस्थित तरीके से खुलेपन ने किस प्रकार चीन को संवृद्धि के वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायता प्रदान की ? व्याख्या कीजिए। (5)

सांकेतिक उत्तर / मूल्य बिंदु (विद्यार्थी द्वारा दिए गए किसी अन्य उपयुक्त उत्तर के भी अंक दिए जाएं)

- क्रम बद्ध तरीके से खुलने ने चीन को लक्षित क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने में सहायता प्रदान की।
- निर्यात संवर्धन के लिए संसाधनों का संघटन एक केन्द्र बिंदु था।
- पी.पी.पी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल का सफल प्रयोग।
- सरकार द्वारा गठनात्मक सुधारों की सहायता से वि.आ.क्षे. को समर्थन।
- महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति के लाभ।

2. "कांडला ई.पी.जैड. की स्थापना के पश्चात भारत संवृद्धि के मार्ग से डगमगा गया था।" क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। (5)

सांकेतिक उत्तर / मूल्य बिंदु (विद्यार्थी द्वारा दिए गए किसी अन्य उपयुक्त उत्तर के भी अंक दिए जाएं)

- अनुचित अवस्थिति।
- विकल्प के रुप में आयात पर अधिक बल।
- पी.पी.पी. माडल का अयोग्यतापूर्ण प्रयोग।
- ढांचागत समर्थन में कमी।
- भूमि अधिग्रहण/पुनर्वास योजनाओं का निष्प्रभावी होना।

मुक्त पाठ–आधारित मूल्यांकन

अर्थशास्त्र कक्षा – XI

2. विषय : भारत – पाक व्यापार सम्बंध

सारांश

दक्षिण एशिया के दो सब से बड़े देश, भारत व पाकिस्तान (जिन की कुल जनसंख्या 1.4 बिलियन है) दोनों की सीमा, संस्कृति तथा इतिहास एक समान हैं। निकटता तथा अन्य समानताओं के बावजूद, दोनों देशों में केवल नाममात्र व्यापार है। भारत का पाकिस्तान के साथ होने वाला व्यापार, भारत के वर्ष 2010 के कुल व्यापार के आधे प्रतिशत से भी काफी कम था और पाकिस्तान का भारत के साथ व्यापार उस के कुल व्यापार के 5 प्रतिशत से भी कम था। भविष्य में होने वाले व्यापार में वृद्धि की संभावनाएं काफी अधिक हैं जिससे दोनों देशों को अवश्य लाभ पहुँचेगा। तथापि, दानों देशों से समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है।

भारत-पाक व्यापार सम्बंध

सभी देशों को अपनी जनता की आवश्यकतओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है। वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश के पास सीमित संसाधन हैं। कोई भी देश उन सभी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन नहीं कर सकता जिनकी उसे आवश्यकता होती है। जो वस्तुएं तथा सेवाएं किसी देश में उपलब्ध नही होती अथवा अपर्याप्त मात्रा में होती हैं, उनको आयात करने के लिए, दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी प्रकार, यदि किसी देश के पास कोई वस्तु आवश्यकता से अधिक मात्रा में है और अन्य देशों को उसकी आवश्यकता है, तो वह उन्हें निर्यात भी कर सकता है।

विदेशी व्यापार (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं अथवा क्षेत्रों से बाहर पूंजी, वस्तुओं तथा सेवाओं का विनिमय है। इसमें विभिन्न मुद्राओं का लेनदेन होता है तथा संबंधित देशों के कानूनों, नियमों तथा विनिमयों से संचालित होता है। औद्योगीकरण, विकसित परिवहन, वैश्वीकरण, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा

बाह्य साधनों का विदेशी व्यापार व्यवस्था पर प्रमुख प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण की निरंतरता के लिए बढ़ता हुआ विदेशी व्यापार अति महत्त्वपूर्ण है।

Source: Department of Foreign Affairs and Trade (http://www.hsc.csu.edu.au/economics/global_economy/tut7/Tutorial7.html)

सैद्धांतिक रूप से विदेशी व्यापार तथा घरेलू व्यापार में कोई अंतर नहीं है क्योंकि व्यापार में भाग लेने वाले लोगों की प्रेरणा तथा व्यवहार के मूल रूप से कोई परिवर्तन नहीं आता। मुख्य अंतर तब आता है जब यह लेन–देन अथवा विनिमय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आर–पार होता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कारण कुछ, अतिरिक्त मूल्य भी बढ़ जाते हैं। जिनका मुख्य कारण होता है। आयात शुल्क सीमा पर होने वाली देरी तथा देशों में भाषा, कानून, व्यवस्था, सांस्कृति, मुद्रा विनिमय दर आदि पर आधारित अंतर। विदेशी व्यापार तो इतिहास के हर काल में होता रहा है, परन्तु इसके आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक महत्त्व में होने वाली वृद्धि वर्तमान शताब्दियों में ही देखी गई है।

अधिकांश देशों में इसे सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का एक महत्त्वपूर्ण भाग माना जाता है। विदेशी व्यापार को सम्पूर्ण विश्व में किसी देश के आर्थिक विकास के सार्थक निर्धारकों में से एक समझा जाता है।

भारत की विदेशी व्यापार नीति

प्रत्येक देश का यह लक्ष्य होता है कि वह अपने विदेशी व्यापार के सुव्यवस्थित विकास के लिए आवश्यक पर्यावरण को नियंत्रित एवं सृजित करे।

भारत के विदेशी व्यापार का मार्ग–दर्शन इसकी निर्यात–आयात नीति (एक्ज़िम पालिसी) अथवा विदेशी व्यापार नीति द्वारा होता है। यह भारत में वस्तुओं के आयात तथा निर्यात से संबंधित मामलों के बारे में मार्ग–दर्शन तथा दिशा निर्देशों की ऐसी सूची है जिसे विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा स्थापित किया गया है।

इसमें नीति तथा अनेक प्रक्रिया से जुड़ा, सरकार द्वारा लिए गए वे अनेक निर्णय है जिनका सम्बंध निर्यात की संभावनाओं को तलाशना, निर्यात को प्रोत्साहन देने हेतु उपाय लागू करना, निर्यात की उपलब्धियों में सुधार लाना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा ऐसी स्थिति में लाना कि भुगतान संतुलन देश के पहुंच मे हो। इस नीति को सुदृढ़ बनाने कि लिए अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं जैसे :

- **विदेशी व्यापार (विकास एवं नियमन) अधिनियम :** जिमसें यह प्रावधान है कि भारत में आयात का सरलीकरण करके तथा निर्यात को बढ़ावा देकर विदेशी व्यापार को विकसित तथा नियमित किया जाए। इस विदेशी व्यापार अधिनियम ने 1947 के आयात–निर्यात (नियंत्रण) का स्थान लिया है।
- आयात–निर्यात के भुगतान के लिए की जानी वाली अदायगी को विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा संचालित किया गया है।
- आयात शुल्क अधिनियम, 1962 के द्वारा यातायात के विभिन्न साधनों के माध्यम से वस्तुओं तथा सेवाओं के लाने ले जाने को नियंत्रित किया जाता है।
- भारत को वस्तुओं तथा सेवाओं के एक गुणवत्तापूर्ण उत्पादक तथा निर्यातक बनाने हेतु निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 पहले से ही कार्य कर रहा है।

भारत तथा पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 को विभाजन के पश्चात् हुआ था। पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात जैसे भारतीय प्रांतो की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है।

भारत की तरह, पाकिस्तान की तटीय रेखा भी अरब सागर से लगती है। भारत के अतिरिक्त, पाकिस्तान, इस्लाामिक गणतंत्र (संवैधानिक नाम) की सीमाएं अफगानिस्तान, चीन तथा इरान से लगती है।

भारत और पाकिस्तान के बीच 2900 किलोमीटर लम्बी तथा सर्वाधिक जटिल सीमा रेखा है। विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा अन्य कारकों के कारण इन दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार अध्ययन का एक रोचक क्षेत्र है।

भारत और पाकिस्तान : व्यापारिक साझेदार

भागीदारी ऐतिहासिक तथा राजनीतिक कारणों से, दोनों देशों के संबंधों में अनेकों उतार–चढ़ाव आए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध हर वक्त दोनों देशों के बीच संबंधों की ताकत और विदेश नीति पर निर्भर करते हैं। जब दोनों में मित्रतापूर्ण संबंध होते हैं।, उस समय व्यापार भी काफी हद तक बढ़ जाता है।

1965 से 1974 तक, बीच के 9 वर्ष खाली छोड़कर, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ 1947 से व्यापार कर रहे हैं। स्वतंत्रता के समय दोनों देश परस्पर एक दूसरे पर काफी निर्भर थे। वास्तव में 1948–49 में पाकिस्तान के वैश्विक निर्यात तथा आयात में भारत का हिस्सा क्रमशः 23.60% तथा 50.6% था। 1975–76 में यह घटकर 1.3% तथा 0.06% रह गया। 1951–52 में भारत के वैश्विक निर्यात का 1.1% था जो धीर–धीरे कम होते हुए 2005–2006 तक 0.7% तथा 0.13% रह गया। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार तीन तरीकों से होता है।

1) सरकारी माध्यम से होने वाला औपचारिक व्यापार : वैश्विक आंकड़ो की तुलना में इस प्रकार का व्यापार नाममात्र है।

2) अवैध तथा अनौपचारिक व्यापार : यह व्यापार भारत–पाक भूमि सीमा से होकर अथवा अफगानिस्तान के रास्ते से होता है।

3) तृतीय देशों के माध्यम से व्यापार : इसमें मुख्यत: दुबई तथा सिंगापुर आते हैं, जो निशुल्क बंदरगाहें हैं तथा भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों की व्यापारियों के वैध एजेंट्स को स्थान दे देते हैं।

यह जानना भी बड़ा रोचक है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध चाहे कैसे भी हो, अनौपचारिक मार्गों से व्यापार चलता रहता है जैसे तृतीय देश मार्ग, तस्करी अथवा उन परिवारों के माध्यम से जो दोनों देशों में आते जाते रहते हैं।

भारत-पाक औपचारिक व्यापार

यह वह द्विपक्षीय औपचारिक व्यापार है जिसे कानूनी तौर पर भारत–पाकिस्तान की सीमा अथवा बंदरगाहों पर घोषित तथा पंजीकृत किया जाता है। पाकिस्तान के एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित नीचे दिया गया समाचार वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालाता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापर 2.1% से बढ़कर 2.4% बिलियन डालर तक हो गया है।

हमारे संवाददाता द्वारा

मुद्रित : 14 मई, 2013

इस्लामाबाद : भारतीय उच्चायुक्त के अनुसार पिछले वर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.1% से बढ़कर 2.4% बिलियन डालर हो गया, क्योंकि नई दिल्ली द्वारा प्राप्त लाभों की तुलना में पाकिस्तान ने व्यापार के सामान्यीकरण से अधिक लाभ उठाया है। भारत के वाणिज्य तथा उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्यक सतर्कता तथा सांख्यकी महा–निदेशालय द्वारा दिए गए अंतिम आंकड़ो के अनुसार (जिन्हें सोमवार को ही दिया गया था) पिछले वर्ष अप्रैल से इस वर्ष मार्च तक अंकित द्विपक्षीय व्यापार में शुद्ध 410 मिलियन डालर की वृद्धि हुई है।

पाकिस्तान द्वारा भारत को निर्यात में 28% वृद्धि हुई हैं जबकि भारत द्वारा पाकिस्तान को निर्यात में 19% की वृद्धि हुई है। द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 2.4 बिलियन डालर हो चुका है। यदि दोनों देश एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करें, तो यह व्यापार आगामी दो वर्षों में 6 बिलियन डालर भी पहुँच सकता है।

इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त द्वारा जारी की गई एक सरकारी विज्ञाप्ति के अनुसार, भारत के पिछले वित्त वर्ष (अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक) में, पाकिस्तान का भारत को निर्यात 28% से बढ़कर 513 मिलियन डालर तक पहुँच गया है। धात्विक लौह, अयस्क तथा लोहे की कतरन, जैविक रसायन, कपास तथा चमड़ा आदि उन मुख्य वस्तुओं में है जिनके कारण यह महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई। उच्चायुक्त ने पाकिस्तान द्वारा इस 28% वृद्धि को प्रभावशाली बताया है यदि इसकी तुलना भारत के कुल आयात की नाममात्र वृद्धि से की जाए। इसी काल में भारत द्वारा पाकिस्तान को किया जाने वाला निर्यात बढ़कर 300 मिलियन डालर हो गया अर्थात 19% वृद्धि। पाकिस्तान को भारत द्वारा कुल निर्यात 1.84% बिलियन डालर रहा जो व्यापार संतुलन को नई दिल्ली के पक्ष में ले जाता है।

उच्चायुक्त ने कहा कि द्विपक्षीय व्यापर में वृद्धि, विशेषतौर पर पाकिस्तान द्वारा भारत को निर्यात, उन कदमों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है जिन्हें व्यापारिक संबंधों को पूर्णतया सामान्य बनाने के लिए उठाया गया है। व्यापार के वातावरण को और आगे सुधारने के लिए, आयात शुल्क सहयोग, मिलजुल

कर मानदंडो की पहचान करने तथा व्यापार संबंधी शिकायतों को दूर करने के क्षेत्रों में तीन द्विपक्षीय समझौते और जोड़े गए जिन पर 2012 में हस्ताक्षर हुए।

पिछले वर्ष फरवरी में, आगे की ओर एक बहुत बड़ी छलांग लगाते हुए, एक सकारात्मक सूची को समाप्त कर दिया जिसमें 1956 व्यापार योग्य वस्तुओं के नाम थे और उसके स्थान पर 1209 उन वस्तुओं की नकारात्मक सूची जारी कर दी जिनका व्यापार तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों ओर से निर्बाध व्यापार के सामान्यीकरण पर सहमति नहीं बनती।

14 मई, 2013 को द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में प्रकाशित यहाँ कुछ और विचारणीय आंकड़े दिए जा रहे हैं :

भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार				
				यू.एस. डालर मिलियन में
वर्ष	**निर्यात**	**आयात**	**कुल व्यापार**	**व्यापार संतुलन**
2005–06	689.23	179.56	868.79	509.67
2006–07	1350.09	323.62	1673.71	1026.47
2007–08	1950.53	287.97	2238.5	1662.56
2008–09	1439.88	370.17	1810.05	1069.71
2009–10	1573.32	275.94	1849.26	1297.38
2010–11	233.62	332.51	2666.13	2001.11
(2011–12 अप्रैल – जनवरी)	1268.32	294.5	1562.82	973.82

भारत-पाक सीमा पर व्यापार द्वार

भारतीय ट्रक पाकिस्तान में जाने के लिए तैयार हैं।

(Source: http://www.livemint.com/Politics/9f5kNKuVPasQn8LOFkMfjP/ Saarc-countries-hope-to-finalize-traffic-pact.html)t

पाकिस्तान में प्रवेश हेतू तैयार भारतीय ट्रक

औपचारिक मार्ग से पाकिस्तानी सामान का आवागमन भारत में

(http://www.oneindia.com/india/customs-to-set-up-under-vehicle-scan-system-in-indo-pak-border-1643686.html)

भारत-पाक अनौपचारिक व्यापार

अनौपचारिक अथवा अवैध व्यापार प्राय: निम्नलिखित कारणों से होता है :

- विभिन्न कारणों से कुछ विशिष्ट मदों के आयात पर प्रतिबंध जैसे स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, धार्मिक विश्वास अथवा आर्थिक कारण।
- देश में तस्करी से लाई जाने वाली वस्तुओं को महंगा बनाने वाले उच्च शुल्क अवरोधक अथवा परिवहन व्यय।
- गैर शुल्क बाधाओं का थौंपा जाना जैसे कि मात्रात्मक पाबंदियाँ।
- घरेलू नीतियों में तोड़-मरोड़ जैसा कि कर न लगाना अथवा अपेक्षाकृत कम कर होना और वह भी ऐसे देश में जहाँ पड़ोसी देशों से अवैध वस्तुओं को लाने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

भारत और पाकिस्तान के बीच अनौपचारिक व्यापार मुख्य रूप से तस्करों अथवा व्यापारियों द्वारा किया जाता हैं जिसे भारत-पाक सीमा पर वस्तु विनिमय द्वारा किए जाने के साथ-साथ व्यक्तिगत सामान योजना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों अथवा रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध 'ग्रीन चैनल'' संविधा का दुरूप्रयोग करके किया जाता है।

अफगानिस्तान के रास्ते से भी व्यापार किया जा रहा है जिस में वस्तुओं का वैध निर्यात भारत से अफगानिस्तान को होता है और बाद में पेशावर के रास्ते से इस की तस्करी करके, इसे पाकिस्तान लाया जाता है। पेशावर पाक-अफगान सीमा के काफी निकट है। भारत निर्मित वस्तुएं जिन की तस्करी पाकिस्तान में होती है, वे हैं (कास्मेटिकस) सौंदर्य प्रसाधन, शराब, स्टेनलेस स्टील के बर्तन, आयुर्वेदिक औषधियाँ, वीडियो टेप, कैसेटस, बेकरी उत्पाद, काजू, चाय तथा काफी आदि। पाकिस्तान से भारत आने वाली मैलेमाइन डिनट् सैट, खाध पदार्य जैसे खाध तेल तथा कुछ रासायनिक उत्पाद।

धारणीय विकास नीति संस्थान (एस.डी.पी.आई.) इस्लामाबाद ने भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे अपरांपरिक व्यापार पर एक व्यापक शोध किया है जिसके अनुसार उस की अनुमानित मूल्य 0.5 बिलियन अमरीकी डालर है। कुछ अन्य अर्थशास्त्रियों ने यह आंकड़े लगभग 3 बिलियन डालर तक दिए हैं। पारपंरिक व्यापार की तुलना में अपारंपरिक व्यापार का संतुलन अत्यधिक भारत के पक्ष में है। दोनों देशों

के बीच आंतरिक व्यापार 11 रास्तों से होता है। जिसमें सबसे अधिक अफगानिस्तान के मार्ग से होता है। यद्यपि इसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। परंतु इतना जरूर है कि दोनों देशों के बीच होना वाला अपारंपरिक व्यापार काफी अधिक मात्रा में है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में होने वाले संभावित व्यापार का सूचक है।

तृतीय देशों के माध्यम से व्यापार

तृतीय देशों के माध्यम से होने वाला व्यापार अथवा चक्रीय व्यापार (तकनीकी तौर पर वैध व्यापार) मुख्यतया दुबई तथा सिंगापुर जैसी कर मुक्त बंदरगाहों पर काम कर रहे एजेंट्स के माध्यम से होता है। चक्रीय व्यापार, मध्य एशिया के गणराज्यों के माध्यम से भी होता है। एक गैर–सरकारी अनुमान के अनुसार, कुल अवैध तथा चक्रीय व्यापार की अनुमानित मात्रा, दोनो देशों के बीच होने वाले वैध व्यापार से काफी अधिक है।

तृतीय देशों के माध्यम से भारत से पाकिस्तान को होने वाला निर्यात में, पूंजीगत वस्तुएं, कपड़ा, मशीनरी, रंग और रसायन, लोहा तथा अयस्क, गर्म मसाले, चमड़ा, रंगने के उपकरण, मशीनी औजार तथा उपकरण अथवा उनके स्पेयर पार्ट, कपास, वस्त्र, टायर, रासायनिक उत्पाद, दवाएं, वीडियोटेप, शराब, कृत्रिम रेशे तथा चाय शमिल हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच दुबई से होने वाले व्यापार का लाभ यह है कि यहाँ भेजे गए माल की उतनी जाँच नहीं होती जितनी के अन्य देशों से आने वाले माल की। तृतीय देशों के माध्यम से होने वाले चक्रीय, व्यापार की मात्रा से दोनों देशों के बीच होने वाले समृद्ध व्यापार की समानता का पता लगता है। पाकिस्तान हमेशा भारतीय टायर, वस्त्र उपयोग, मशीनरी, चाय, काफी, रसायन तथा दवाओं का पक्षघर रहा है। अप्रत्यक्ष माध्यमों से आने वाली इन वस्तुओं के लिए उसे काफी उंची कीमत ही क्यों न देनी पड़े।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा)

साफ्टा का उल्लेख किए बिना, किन्ही भी दक्षिण एशियाई देशों के बीच की व्यापार वार्ता पूरा नहीं होती।

दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (एस.ए.एफ.टी.ए), सार्क देशों के बीच 6 जनवरी 2004 को 12 वें सार्क सम्मेलन में कराची (पाकिस्तान) में हुआ, एक व्यापार समझौता है। इस के विचार में, यह

बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका के लगभग 2.0 बिलियन लोगों का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। इस क्षेत्र के सात विदेश मंत्रियों ने 2016 तक सभी व्यापारिक वस्तुओं पर आयात कर को शून्य करने के लिए साफ्टा के सरंचनात्मक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

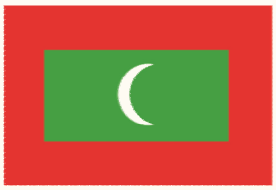
मालदीव

नेपाल

पाकिस्तान

श्रीलंका

अफगानिस्तान

बांग्लादेश

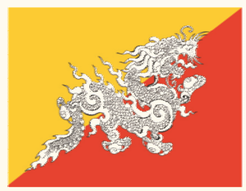
भूटान

भारत

साफ्टा समझौता 1 जनवरी 2006 को लागू हुआ। इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्र के प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन देना तथा सभी आठ सदस्य देशों को एक समान लाभ पहुँचाना है। शुल्क तथा गैर–शुल्क बाधाओं को कम करके तथा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान तथा मालदीव जैसे न्यूनतम विकसित देशों को विशेष प्राथमिकता प्रदान करके, साफ्टा आशा करता है कि इनमें आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग बढ़ेगा। पाकिस्तान और भारत के बीच संबंधों को सुधारने के प्रयास में, भारत को अत्याधिक समर्थित राष्ट्र (एम.एफ.एन.) का दर्जा दिए जाने के मुद्दे पर काफी बल दिया जाता है। पाकिस्तान और भारत (जी.ए.टी.टी.) गैट के 25 संस्थापक सदस्यों में से हैं। गैट के मूल सिद्धांतो में से एक धारा एम.एफ.एन. (MFN) है जिसके अनुसार गैट के किसी भी सदस्य को दी जाने वाली व्यापारिक सुविधा सदस्यों को अवश्य दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, डब्लू.टी.ओ (WTO) समझौता स्वीकार करने के पश्चात, पाकिस्तान ने गैट (GATT) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता फिर से प्रकट की है ताकि भेदभाव रहित बहुपक्षीय ढाँचागत कार्य प्रणाली में मुक्त व्यापार के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। इस समझौते का हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते, भारत समेत सभी सदस्य राष्ट्रों को बिना किसी भेदभाव के एम.एफ.एन (MFN) का दर्जा देने के लिए पाकिस्तान की बाध्यता है। इस लोकप्रिय दृष्टिकोण के विपरीत, एम.एफ.एन (MFN) का यह अर्थ

बिलकुल नहीं है कि किसी भी देश से किये जाने वाले आयात के साथ विशेष बर्ताव किया जाए, मतलब यह कि एम.एफ.एन (MFN) के दर्जे का अर्थ यह नही हैं कि भारत के साथ मुक्त व्यापार किया जाए। इस का अर्थ यह कि पाकिस्तान भारत के साथ भी वैसे ही व्यापार करे जैसा कि वह बाकी दुनिया से करता है। इस सिद्धांत की मांग यह है कि यदि डब्लू.टी.ओ (WTO) के किसी सदस्य के साथ सहायतापूर्ण व्यवहार किया जाए, जैसे थोड़ा शुल्क लगाना अथवा बाजार की पहुँच में वृद्धि करना, तो अन्य सभी सदस्य देशों से भी उसी प्रकार के उत्पादों का आयात करते समय, सहायतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एम.एफ.एन का दर्जा देते समय, यू.एस तथा चीन ने पारस्परिक व्यापार उसी प्रकार प्रारंभ किया जैसा कि वे बाकी संसार से करते है।

एम.एफ.एन का दर्जा देने की बाजाए, पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार के लिए निर्धारित वस्तुओं की संख्या को बढ़ा दिया है।

पाकिस्तान का व्यापारी समुदाय भारत के एम.एफ.एन का दर्जा देने के पक्ष में है। करांची चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने पहले ही सरकार को यह सिफारिश कर दी है कि भारत को एम.एफ.एन का दर्जा दिया जाए क्योंकि उनके विचार में, इससे पाकिस्तानी उद्योग को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। फिर भी, पाकिस्तान आधिकारियों को यह लगता है कि भारत को एम.एफ.एन के बीच व्यापार में उदारीकरण करने से पश्चात, मुख्यत: लाभ भारत को ही होगा क्यों कि उसके पास अच्छा खासा औद्योगिक तथा एंजीनियरिंग आधार है। पाकिस्तान को यह भी लगता है कि एम.एफ.एन का दर्जा दे दिए जाने के पश्चात, उसकी अपनी अर्थव्यवस्था की पोल अचानक खुल जाएगी और इसे वह भी देश की तुलना में जिसके पास एक विशाल अर्थव्यवस्था का बहुत अच्छा विविधतापूर्ण औद्योगिक ढांचा है। और अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में स्थापित परिवहन व्यवस्था का लाभ भी अनुभव किया जाता है। भारत के सस्ते उत्पादों का ढेर लगा देने से, हो सकता है पाकिस्तान के लिए समस्याएँ खड़ी हो जाएं।

भारत ने पाकिस्तान को एम.एफ.एन का दर्जा 1996 में दिया था, परंतु पाकिस्तान ने उसके बदले में अभी तक कुछ नही किया। तबसे भारत यह प्रयास करता आ रहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ भी एम. एफ.एन जैसा व्यवहार करें क्यों कि इस दर्जे के देने से दोनों देशों के बीच वस्तुओं के प्रवाह पर लगे संख्यात्मक तथा गुणात्मक प्रतिबंधों में ढील आ जाएगी।

स्वतंत्र / मुक्त व्यापार के मार्ग में एक और बाधा यह है कि पाकिस्तान ने भारत के विरूद्ध एक नकारात्मक सूची बना रखी है। विदेशी व्यापार के दो उपागम हैं :

1. नकारात्मक सूची उपागम में सभी वस्तुओं के व्यापार की आज्ञा तथा नियंत्रण तब तक नही है जबतक आरक्षण सूची में सभी विशेष उपाय परिभाषित न किए गए हों।

2. सकारात्मक सूची उपागम में केवल उन्हीं वस्तुओं का व्यापार किया जा सकता है जिनका मूल्यांकन तथा स्वीकृति नियमबद्ध तरीके से की गई हो। यह व्यापार एक प्रतिबधंक (नियामक) रूप है।

पाकिस्तान ने अभी भी भारत के साथ व्यापार के लिए एक सकारात्मक सूची बना रखी है। पाकिस्तान का यह रवैया साफ्टा की भावना के बिलकुल विपरीत है। इससे दोनों देशों के बीच अवैध तथा अनौपचारिक व्यापार को बढ़ावा मिलता है जो दोनों देशों के लिए अच्छा नही है।

क्या किया जाना चाहिए?

भारत–पाक व्यापार जो आज लगभग 3 बिलियन डालर का है और जिसकी संभावना 40 बिलियन डालर तक पहुँच जाने की है एक ऐसा विशाल संभावना क्षेत्र है जिसकी छानबीन करना आवश्यक है।

पारम्परिक व्यापार को सुधारने तथा अनछुए संभावित व्यापार को साकार करने के लिए बहुत से कदमों को उठाने की आवश्यकता है।

अनेक भौतिक तथा नियमन संबंधी बाधाओं का भी हल निकालने की आवश्यकता है। व्यापार के लिए एक ऐसा मजबूत ढाँचे बनाने की नितांत आवश्यकता है, जिसका निर्माण बिना किसी राजनीतिक दबाव के हो। ऐसे कुछ उपाय इस प्रकार हैं :

- द्विपक्षीय व्यापार को आसान बनाने के लिए गैर शुल्क बाधाएं हटा दी जानी चाहिए।
- दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार के लिए अन्य रास्ते भी ढूढ़ने चाहिए।
- यातायात के और अधिक साधनों को विकसित करना चाहिए तथा उड़ानें और रेल, गाड़ी तथा बसों से यात्राओं को बढ़ाना चाहिए।
- कोरियर सेवा प्रारम्भ की जानी चाहिए तथा भारत और पाकिस्तान के सभी मुख्य नगरों तक इसे पहुँचा देना चाहिए।

- अरब सागर में दोनों देशों के बंदरगाहों को खोलने तथा जोड़ने से भारत–पाक व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
- महसूस होने वाले अवरोधकों से निपटने का प्रभावी ढंग हैं प्रदर्शनियों तथा व्यापार मेलों का आयोजन करना।
- दुबई जैसे तृतीय देशों के व्यापारियों ने भारत और पाकिस्तान के व्यापारियों के बीच एक सहायक के रूप में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है।

यदि शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाएं कम कर दी जाएं तो भी अनौपचारिक व्यापार केवल तभी औपचारिक बनेगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक भागीदारी के मूर्त रूप धारणा करने को सीधा आधार होगा। बाज़ार की ताकतें, भुगतान का सुनिश्चित करना तथा व्यापारिक सम्बंधों के विश्वास की स्थापना।

- गहरे तथा मज़बूत व्यापारिक संबंधों के लिए, महत्त्वपूर्ण यह है कि सुरक्षा पर समझौता किए बिना द्विपक्षीय वीज़ा व्यवस्था का उदारी करण हो तथा दोनों देशों के बीच निवेश का प्रवाह चलता रहे। एक सकारात्मक कदम के रूप, भारत ने अब इस बात की आज्ञा दे दी है कि पाकिस्तान को तथा पााकिस्तान से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का बाह्य तथा आंतरिक प्रवाह बना रहे। यदि एक द्विपक्षीय निवेश संधि की जाए, तो व्यापारी लोग वह विश्वास पैदा कर लेंगे जो दूसरे देश में व्यापार तथा निवेश के लिए आवश्यक है।
- भारत–पाकिस्तान व्यापार संबंधों को प्रभावी ढंग से और आगे बढ़ाने के लिए, लोगों में पारस्परिक वार्तालाप संभव बना के तथा वर्तमान टेलीकॉम नेटवर्क में दूरी को कम करके संचार साधनों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

अत: भारत का यह दृढ़ विश्वास है कि दक्षिण एशिया के दो पड़ोसी देशों के लिए अब वह उपयुक्त समय आ गया जब वे अपने अतीत के तनाव–संभावित आर्थिक तथा व्यापारिक संबंधों पर काबू पाएं और नई आशाओं तथा आकांक्षाओं के साथ आगे बढ़ें ताकि आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ आर्थिक संबंध स्थापित किए जा सकें।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार का प्रमुख लाभ उपभोक्तओं को पहुँचेगा क्योंकि उत्पादन के दामों के कमी आने तथा अर्थव्यवस्थाओं के विशाल होने के कारण उन्हें कम दामों पर वस्तुएं तथा सेवाएं

उपलब्ध होंगी। इससे लोगों की बचत करने की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषक आहार जैसे सामाजिक सूचकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

संदर्भ

- www.icrier.org
- SDPI, Islamabad
- PHD Chamber of Commerce and Industry
- The Express Tribune

आदर्श प्रश्न

1. क्या आपके विचार में भारत के साथ औपचारिक व्यापार बढ़ाने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक हो सकता है? कारण स्पष्ट करके अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। (5)
2. जब दो देश वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार करते हैं, तो बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। विवेचन कीजिए। (5)

अंक योजना

1. पाकिस्तान के लिए व्यापार निम्न कारणों से लाभदायक हो सकता है : (5)
   - पाकिस्तान के व्यापार संतुलन में सुधार होगा।
   - भारत से आयात के कारण सीमा शुल्क राजस्व में वृद्धि होगी।
   - निर्यात हेतु उच्च उत्पादन के कारण रोज़गार अवसरों में वृद्धि होगी।
   - कोई अन्य प्रासंगिक बिन्दु

     या

   व्यापार निम्न के कारणों से हानिकारक हो सकता है :
   - ऑटोमोबाइल, इस्पात आदि उद्योगों को भारत से आयात के कारण हानि हो सकती है।
   - ढेर लगाना (डम्पिंग)

- कोई अन्य बिन्दु

(समग्र रूप में मूल्यांकित किया जाएगा।)

2. लंबी दूरी के परिवहन, भाषा और सांस्कृतिक भिन्नताएँ, मुद्रा विनिमय दरें, दस्तावेज़ और कानूनी कागज़ी कार्य की आवश्यकता उपभोक्ता व्यवहार परिवर्तन आदि के कारण उत्पन्न बाधाऐं संक्षिप्त व्याख्या। (5)

(समग्र रूप में मूल्यांकित किया जाएगा।)

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
शिक्षा केन्द्र, 2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, दिल्ली–110301,भारत
फोन: 011-22509256-59 • वेबसाइट: www.cbse.nic.in